न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 185/2017/225 आरटीए

टीकूराम पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. गिरधारी पुत्र पतराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. हरखादेवी पत्नि रूपाराम (फौत) वारिसान रेस्पो0 सं. 3 ता 12।
3. भादरराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. शंकरलाल पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. रतीराम पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. रामप्रताप पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. औमप्रकाश पुत्र सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
8. दुर्गा पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
9. सावित्री पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. भज्जू पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
11. मैना पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
12. फूली पुत्री सांवताराम जाति जाट निवासी गुलाबगढ़ तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
13. पारी पत्नि स्व. मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. मीरा पुत्री मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
15. रतनी पुत्री मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
16. भंवरलाल पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
17. औमप्रकाश पुत्र मेघाराम जाति मेघवाल निवासी झैदासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 51/2016 अनवानी टीकूराम बनाम गिरधारी आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ता 17

निर्णय दिनांक –25.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत पारित किया गया जो अपास्त योग्य है। आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने रिपोर्ट तहसील से प्राप्त की। रिपोर्ट तहसीलदार पल्लू दिनांक 25.10.16 व 26.10.16 से यह स्पष्ट था कि अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता अपीलांट को अपनी भूमि मे प्रवेश करने हेतु नही है। परन्तु उक्त रिपोर्ट को ना माने जाने का कोई कारण दिये बिना अपीलाधीन निर्णय विधिक सिद्धांतो के प्रतिकूल है। अपीलाधीन निर्णय मे कतई गलत तरीके से यह अंकित कर दिया कि मजमे आम मे ली गई जानकारी के अनुसार प्रार्थी के खेत मे पहले से रास्ता लगने पर नया रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नही है जबकि पूर्व से स्वीकृतशुदा रास्ता कौनसा लगता है, अपीलाधीन निर्णय मे अंकित नही किया गया है। जबकि रिपोर्ट तहसील मे यह स्पष्ट अंकित था कि प्रार्थी/अपीलांट के खेत मे अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है तथा जिस रास्ते की अपीलांट ने मांग की है वह अर्सादराज से चला आ रहा है एवं दिनांक 21.10.16 से दो दिन पूर्व से अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बन्द करने का भी प्रयास किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय के समक्ष जब दो तहसील की रिपोर्ट एवं एक पटवारी हल्का की रिपोर्ट थी जो समान रिपोर्ट थी तो अन्य किसी रिपोर्ट को तलब करने की कोई आवश्यकता नही थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा एक और रिपोर्ट उपतहसीलदार पल्लू से तलब की एवं उस रिपोर्ट मे कतई गलत रूप से यह अंकित किया गया कि अपीलांट/प्रार्थी की पिता की भूमि को अन्य रास्ता ग्राम लाखेरा की सीमा से होते हुए दूसरे खसरो मे मौका पर चालू है परन्तु इस रिपोर्ट मे भी कोई मंजूरशुदा रास्ता होने संबंधित कोई टिप्पणी नही की गई। विचारण न्यायालय ने उक्त चारो रिपोर्ट को दरकिनार कर अपीलांट की अनुपस्थिति मे उसे आपत्ति का मौका दिये बिना ही तैयार रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2016 (1) पेज 442, आरआरटी 2017 (2) पेज 980 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति स्वीकार किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस भूमि हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की जा रही है वह भूमि अपीलांट के स्व. पिता मेघाराम के नाम सांझा मे दर्ज है तथा उक्त भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभी वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज नही हुआ है। भूमि अभी सांझा खाता की है। अपीलांट सांझे खाते की भूमि मे आने जाने हेतु पहले से चालू रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. 3 ता 17 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.17 विधि विरूद्ध है एवं निरस्ती योग्य है। उक्त प्रश्नगत रास्ता अर्सा दराज से चला आ रहा है। न्यायालय द्वारा रोही मौजा गुलाबगढ़ तहसील रावतसर के खसरा नं. 1473/1032 की 0.051 है0 व खसरा नं. 1032 की 0.101 है0 पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता मंजूर करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है एवं अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है या रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 सं. 3 ता 17 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति स्वीकार किया जावें।
6. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया है कि ''रिकार्ड का अवलोकन करने एवं मजमे आम ली गयी जानकारी अनुसार प्रार्थी के खेत पहले से रस्ता लगने पर नया रास्ता रास्ता स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन निर्णय मे यह अंकित कर दिया कि मजमे आम मे ली गई जानकारी के अनुसार प्रार्थी के खेत मे पहले से रास्ता लगने पर नया रास्ता स्वीकृत करने की आवश्यकता नही है जबकि पूर्व से स्वीकृतशुदा रास्ता कौनसा लगता है, अपीलाधीन निर्णय मे अंकित नही किया गया है। जबकि रिपोर्ट तहसील मे यह स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी/अपीलांट के खेत मे अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है तथा जिस रास्ते की अपीलांट ने मांग की है वह अर्सादराज से चला आ रहा है एवं अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बन्द करने का भी प्रयास किया है। इस प्रकार रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कही भी अंकित नही किया गया है कि प्रार्थी/अपीलांट को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता विद्यमान है। केवल पहले से स्वीकृतशुदा होने के तथ्य को मानकर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति खारिज किया जाना उचित नही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर रिपोर्ट के उपरांत वैकल्पिक रास्ता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपलब्ध होने की स्थिति मे वैकल्पिक रास्ता से प्रभावित काश्तकार को बतौर पक्षकार संयोजित करते हुए रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलांट/प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 08.06.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official